न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/149

1. राधेश्याम स्वामी उत्तराधिकारी स्वर्गीय महंत हनुमानदास चैला स्वर्गीय गोपाल दास निवासी काचरोदा तहसील फुलेरा, जयपुर

—अपीलांट

बनाम

1. अर्जुन दास पुत्र श्यामदास जाति वैष्णव आयु करीब 19 साल निवासी ग्राम (रुण) तहसील मुंडवा जिला नागौर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू–अभिलेख) तहसील सांभर लेक जिला जयपुर।

—रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांकित 30.04.2024 न्यायालय तहसीलदार फुलेरा मुकाम सांभर लेक, जिला जयपुर पीठासीन अधिकारी कृष्णा प्रकरण संख्या 01/2024 जिसमे माननीय अधिकारी द्वारा प्रार्थी/रिस्पॉन्डेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार कर गुरू शिष्य परंपरा के अनुसार प्रार्थी अर्जुन चेला के नाम नामांतकरण दर्ज जाने के आदेश प्रदान किये।

उपस्थित–

1. श्री हेमन्त कांकोरिया वकील अपीलांट
2. श्री अब्दुल हफीज कुरैशी वकील रेस्पो0 1 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल रेस्पो0 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–14.08.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार फुलेरा मुकाम सांभर लेक, जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 30.04.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. तहसीलदार फुलेरा मुकाम सांभरलेक, जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 30.04.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार फुलेरा मुकाम सांभर लेक, जिला जयपुर 30.04.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 के योग्य अधिवक्ताओं की बहस/लिखित बहस सुनी गई। अपीलांट को कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अपीलांट द्वारा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की गई अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के आधार पर ही गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

4. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो में अंकित तथ्यों के अनुसार रेस्पॉन्डेंट संख्या एक द्वारा तहसील महोदय तहसील फुलेरा मु० सांभरलेक जिला जयपुर ग्रामीण यहाँ एक फोती नामांतरण खुलवाने बाबत प्रार्थना पत्र निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया गया "निवेदन है कि मेरे गुरुजी महन्त हनुमानदास चैला/पुत्र गोपालदास जाति दादूपंथी निवासी दादूद्वारा सांभरलेक तहसील फुलेरा का स्वर्गवास दिनांक 08.10.2015 को हो चुका है एवं इनके नाम ग्राम काचरोदा पटवार हल्का काचरोदा में, खाता संख्या नया 77 किता 06 कुल रकबा 2.9715 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। गुरू–शिष्य प्रथा व चदर दस्तुर के अनुसार में प्रार्थी इनका एकमात्र वारिस हूँ एवं मेरे सभी पहचान दस्तावेजो में गुरू/पिता का नाम हनुमानदास अंकित है। अतः उक्त कृषि भूमि का फौती नामान्तकरण मुझ प्रार्थी के नाम खुलवाने की कृपा करे।" जिस पर न्यायालय तहसीलदार द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आदेश दिये गये कि ग्राम काचरोदा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 244, 245, 246 247, 346, 347 किता 06 कुल रकबा 2.9715 हैक्टेयर के मृतक खातेदार महन्त हनुमानदास चैला/ पुत्र वगोपालदास जाति दादूपंथी निवासी दादूद्वारा, सांभरलेक की फौतगी पर गुरू–शिष्य प्रथा के अनुसार प्रार्थी अर्जुनदास चैला/पुत्र हनुमानदास जाति दादूपंथी निवासी दादूद्वारा, सांभरलेक के नाम नामानारकरण दर्ज किया जावे। उक्त आदेश माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या–1 सांभरलेक में विचाराधीन वाद संख्या 48/2015 उनवान लल्लूदास व अन्य बनाम अर्जुनदास व अन्य में पारित होने वाले भावी निर्णय के अध्यधीन रहेगा जो अन्तिम निर्णय होगा।"

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् अपीलार्थी राधेश्याम दास चेला व आम जनता काचरोदा द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र क्या कहते हुए प्रस्तुत किया गया था कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पंत्र न्यायालय में लम्बित वाद व जारी स्थगन आदेश के तथ्यो को छिपाकर प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त सम्पत्ति स्व० हनुमानदास की निजी सम्पत्ति नहीं होकर मंदिर माफी की सम्पत्ति है जिसकी विरासत का नामांतकरण आवेदक के पक्ष में स्वीकृत नहीं करने के आदेश प्रदान कर आवेदक का प्रार्थना पत्र जब तक सक्षम न्यायालय से अपने हक अधिकार की घोषणा नहीं करवा लेवे के अभाव में आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज करने की कृपा करे । तहसीलदार महोदय द्वारा उक्त आपत्तियों को नज़रअन्दाज़ कर प्रार्थी अर्जुनदास के हक में प्रार्थना पुत्र अंतर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार कर क़ानूनी की है त्रुटि की है। प्रार्थी अर्जुनदास ने स्वयं को महन्त हनुमान दास जी का उत्तराधिकारी बताते हुये उपरोक्त वर्णित भूमि खाता सं० नया 77 का विरासत नामान्तकरण स्वयं के पक्ष में खुलवाने का आवेदन किया है जबकि महन्त हनुमान दास के उत्तराधिकारी होने व हनुमान दास जी व दादू मंदिर सांभर से जुडी समस्त सम्पत्ति को लेकर एक वाद उनवानी लल्लूदास बनाम अर्जुनदास वगै० के मुकदमा नम्बर 48/15 न्यायालय अपर जिला एंव सैशन न्यायाधीश क्रम सं० 1 सांभर लेक के यहां विचाराधीन है जिसमे आगामी पेशी दिनांक 20/02/2024 नियत है उक्त वाद के साथ प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सं0 62/15 एन०सी०वी० नम्बर 484/16 उनवानी, लल्लूदास वगै० बनाम अर्जुनदास वगै० मे दोनो पक्षो की बहस सुनी जाकर दिनांक 01/08/2019 को आदेश / निर्णय पारित किया गया है जिससे

सहायक आयुक्त
जयपुर

प्रार्थी/अर्जुनदास आज भी पाबंद है श्रीमान् तहसीलदार महोदय सांभर लेक भी उक्त प्रार्थना पत्र एंव मूल वाद मे अप्रार्थी / प्रतिवादी सं० 9 के रूप मे पक्षकार कायम है एंव आदेश / निर्णय दिनांक 01/08/2019 से पाबंद है। अपर जिला एंव सैशन न्यायाधीश क्रम सं० 1 सांभर लेक के द्वारा मूल वाद मे निर्णय पारित किये जाने से पूर्व किसी भी पक्षकार के पक्ष में स्व० हनुमान दास जी के नाम दर्ज चली आ रही खातेदारी भूमि के रिकोर्ड में परिवर्तन किया जाना न्यायोचित नही है क्योकि विचारीत मूल वाद मे स्व० हनुमान दास जी के वैध वारिस का निस्तारण होना शेष है। विचारीत वाद मे स्वयं अर्जुनदास भी पक्षकार है ऐसी स्थिति में जहां सिविल न्यायालय में स्व० हनुमान दास जी के वैध उत्तराधिकारी एंव उनकी छोडी गई सम्पत्ति के सम्बन्ध मे अन्तिम निस्तारण होना शेष है। प्रार्थी अर्जुनदास की ओर से मान्य न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथ्यो को छुपाकर पेश किये जाने से व सिविल न्यायालय मे प्रकरण विचाराधीन होने से चुनोतिग्रस्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी अर्जुनदास के पक्ष मे उक्त खातेदारी भूमि का विरासत नामान्तकरण खोला जाना सर्वथा गलत है एंव चुनोतिग्रस्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

5. रेस्पो0 संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस/लिखित बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 के विधिवत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 1 द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात् यथा मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, राशन कार्ड नगरपालिका द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र इत्यादि का अवलोकन करके की अपीलाधीन आदेश पारित किया है। तहसीलदार फुलेरा ने उक्त प्रकरण में पटवारी फर्द मौका रिपोर्ट एवं वारिसान की जॉच दिनांक 18.01.2024 को करवाई गई एवं मौके पर गवाहों के हस्ताक्षर कराये जाने के उपरान्त ही विधिक प्रक्रिया के तहत अर्जुनदास को हनुमानदास का एक मात्र विधिक वारिसान् मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। समाचार पत्र में उक्त प्रकरण की सार्वजनिक सूचना दी गई इस पर अपीलार्थी राधेश्याम की आपत्ति ली गई एवं अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश संख्या 1 सांभरलेक के समक्ष एक दावा पेश किया हुआ है जो विचाराधीन है। अपीलार्थी द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र मे अपने आपको राधेश्याम चेला भौलादास बताया गया है जबकि अपील में राधेश्याम चेला हनुमानदास बताया गया हैं जो कि प्रथम दृष्टया ही विरोधाभासी है। अपीलार्थी ने अपने कथनों की पुष्टि में कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया का पालना करते हुये ही गवाहान् के बयानात् एवं प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन करके ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया का पालना करते हुये ही गवाहान् के बयानात् एवं प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन करके ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिसम्मत है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं अपील के तथ्यों एवं रेस्पो0 व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद ग्राम काचरोदा पटवार हल्का काचरोदा में खाता संख्या नया 77 किता 06 कुल

रकबा 2.9715 हैक्टेयर कृषि भूमि के खातेदार महन्त श्री हनुमानदास की विरासत को लेकर है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा महन्त श्री हनुमानदास की विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम खुलवाये जाने हेतु आवेदन किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का काचरोदा से मृतक खातेदार महन्त हनुमानदास के उत्तराधिकारी/वारिस की रिपोर्ट ली गई जिसमें फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार 18.01.2024 के अनुसार मृतक खातेदार महन्त हनुमानदास के एकमात्र वारिस रेस्पो0 संख्या 1 अर्जुनदास का होना अवगत कराया गया। तहसीलदार फुलेरा द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्रों एवं अखिल भारतीय श्री दादू साधु समाज पंजीकृत संख्या 385 जयपुर राज0 द्वारा प्रमाण पत्र के आधार पर विधिक वारिस अर्जुनदास चेला हनुमानदास का अवलोकन करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलार्थी द्वारा समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजात् प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि वह मृतक खातेदार महन्त श्री हनुमानदास का विधिक वारिस है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम काचरोदा की भू0 प्रबन्ध खतोनी सम्वत 2011–2029 का अवलोकन करके ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। उक्त भूमि के संबंध में वादअपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 1 सांभरलेक के समक्ष विचाराधीन होने की स्थिति में भावी निर्णय के अध्याधीन रखते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश मे हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समक्षते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 30.04.2024 यथावत रखा जाता है।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर